

No. EDN-HE(21)F(10)13/2021-Road Safety
Directorate of Higher Education
Himachal Pradesh, Shimla-1
Dated: Shimla-171001 the May, 2022

To

All the Principal/Headmaster,
Government Senior Secondary/High Schools,
in Himachal Pradesh

Subject: - Notification regarding inclusion of chapter in syllabus on Road Safety from class 6th to 10th.

Please find enclosed herewith copy of Notification No. क:हि.शि.बो.(39)/TB/MISC./Voll-II/Part-III/8120-8220 dated 25-04-2022 received from the HP Board of School Education regarding inclusion of chapters in syllabus on Road Safety from class 6th to 10th.

In this context, it is directed to go through the contents of the ibid notification & make necessary arrangements to teach students aforementioned curriculum incorporated on Road Safety which is available on the user ID of all the school.

THIS MAY BE GIVEN PERSONAL ATTENTION AND TOP PRIORITY PLEASE.

Encls: As above

18 MAY 2022

Director of Higher Education
Himachal Pradesh

Endst. No. Even Dated Shimla-1 the May, 2022
Copy to:-

1. The Principal Secretary (Education) to the Govt. of H.P for information please.
2. The Director of Transport, Himachal Pradesh, and Shimla-171004, w.r.t. letter No. TPT-LA(21)RSC(Edn)-2021- 2519 dated 12-05-2022.
3. All the Deputy Director of Higher Education for information and necessary action accordingly.
4. The Technical Officer, IT Cell of this Directorate with the direction to upload the same on the Departmental Website.
5. Guard File.

Director of Higher Education
Himachal Pradesh

22/233
28-4-22

Yen
28/4/22



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क0:हि शि.बो.(39)/TB/MISC./Vol-II/Part-III/8/20-8220

दिनांक 25.04.2022

अधिसूचना

निदेशक (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या EDN-HE(21)F(10)13/2021-Road Safety-I दिनांक 30.03.2022 की अनुपालना में, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए शैक्षणिक सत्र 2022-23 से कक्षा छठी से दसवीं के पाठ्यक्रम में "सड़क सुरक्षा जिम्मेदारी हमारी" से सम्बंधित विषयों को सम्मिलित करने के संदर्भ आदेश प्रदान करते हैं। जिनका ब्यौर निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	पाठ्य पुस्तक कोड	विषय	पाठ्यपुस्तक का नाम	अध्याय का नाम
1	801	हिन्दी	वसंत (भाग-1)	अध्याय 18 "घात घात में बात" को जोड़ा गया है।
2	701	हिन्दी	वसंत (भाग-2)	अध्याय 21 "अखिर बेटी किराकी है" को जोड़ा गया है।
3	809	सामाजिक विज्ञान	सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-III	अध्याय 11 "सड़क सुरक्षा एवं जन सहभागिता" को जोड़ा गया है।
4	878	Social Science	Social and Political Life	अध्याय 11 "Road Safety and Public Participation" को जोड़ा गया है।
5	978	आपदा प्रबंधन	आओ मिलकर बनें एक सुरक्षित भारत की ओर (भाग-2)	अध्याय 06 "सड़क दुर्घटनाएं-कारण एवं रोकथाम के उपाय" को जोड़ा गया है।
6	951	Disaster Management	Together Towards A Safer India-II	अध्याय 06 "Road Accidents: Causes and Means to Prevent them" को जोड़ा गया है।
7	1016	सामाजिक विज्ञान	लोकतांत्रिक राजनीति (2)	अध्याय 10 "संजम रहे सुरक्षित रहे" को जोड़ा गया है।
8	1023	Social Science	Democratic Politics-II	अध्याय 10 "Be Alert: Be Safe" को जोड़ा गया है।

अतः समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापकों को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त पाठ्यसामग्री को अपने संस्थान के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये उचित व्यवस्था करें। अध्ययन सामग्री समस्त विद्यालयों के USER ID में उपलब्ध है।

डॉ० मधु चौधरी (हि0प्र0से0)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- 1 प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
- 2 निदेशक, (उच्चतर व प्रारम्भिक), शिक्षा निदेशालय, शिमला-1
- 3 समस्त उप निदेशक, (उच्चतर व प्रारम्भिक) शिक्षा, हिमाचल प्रदेश।
- 4 निधि सहायक अध्यक्ष/सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
- 5 अनुभाग अधिकारी पुस्तक वितरण/पुस्तक मुद्रण को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेरित है।
- 6 अनुभाग अधिकारी, सामान्य शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि यह उपरोक्त निर्णय को बोर्ड की आगामी बैठक में संयुक्त हेतु प्रस्तुत करें।

डॉ० मधु चौधरी (हि0प्र0से0)